



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/582

06/10/2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक RoDTEP रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 24/2025-2026 दिनांक 03.10.2025.

हम आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक RoDTEP रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने के संबंध में डीजीएफटी, नई दिल्ली द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के बारे में सूचित करना चाहते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना के साथ, वार्षिक RoDTEP रिटर्न (ARR) दाखिल करने की तिथि **30.09.2025 से बढ़ाकर 30.11.2025** कर दी गई है, जिसमें 10,000 रुपये का संयोजन शुल्क शामिल है।

कृपया विस्तृत सार्वजनिक सूचना के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251006024027.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकौन्सिल